संख्या- 18/412/30-3-15-6बी/2014

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 26 फरवरी, 2015

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-595सड़क सुरक्षा/2014-45स0सु0(बजट)/13-14, दिनॉक 24-12-2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्रावधानित धनराशि रू0 70000 हजार (रू0 सात करोड़ मात्र) में से धनराशि रू0 40000 हजार (रू0 चार करोड. मात्र) का पुनर्विनियोग "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य में किये जाने के उपरांत उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के नियम-7 में उल्लिखित "कोष प्रबन्धन समिति" की बैठक दिनॉक 02-12-2014 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में, उक्त धनराशि से निम्नलिखित सूची में उल्लिखित कार्यों को कराये जाने के लिये धनराशि रू0 40000 हजार (रू0 चार करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02-12-2014 का निर्णय बिन्दु	धनराशि (रू0 हजार में)
ब्लैक स्पॉट्स में सुधार के कार्य हेतु	20000
ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण	15000
फिटनेस पिट का निर्माण	5000
योग -	40000

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 तथा क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय

http://sirsa.rajasthan.up.nic.in

पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(4) निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था का चयन/निर्धारण सक्षम स्तर से कराये जाने के उपरांत निर्माण कार्य कराया जाये।

(5) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/412(1)/30-3-2015, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in